न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 111/2019 निर्णय दिनांक :–

हुक्माराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

––वादी

–:बनाम:–

1. तोलाराम
2. सीताराम पुत्रगण किशनाराम जाति जाट निवासी बाना
3. हरीराम तहसील श्रीडूंगरगढ़
4. रामकोरी पत्नि किशनाराम
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ

––प्रतिवादीगण

उपस्थित:–
1.श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2.श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी
3.पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अर्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद हुकमाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके आपसी सम्बन्धों का खुलासा निम्न प्रकार से है :–

किशनाराम पुत्र लालूराम

रामकोरीदेवी (पत्नि) तोलाराम (पुत्र) सीताराम (पुत्र) हरीराम (पुत्र) हुकमाराम (पुत्र)

वादी एवं प्रतिवादी के विरास्तन एवं संयुक्त परिवार की आय से अर्जित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 58 तादादी 3.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 तादादी 4.1900 हैक्टेयर रोही केऊ, खसरा नंबर 770/136 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही ऊपनी, खसरा नंबर 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 354 तादादी 6.4100 हैक्टेयर रोही जैसलसर, खसरा नंबर 548 तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेतों का आपसी पारिवारिक विभाजन में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हो चुका है जो निम्न सारणी के अनुसार है:–

क्रस.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिस्सा	वर्तमान खातेदार
				3.5300	1.77	सीताराम पुत्र किशनाराम
1	तोलाराम	केऊ	58	6.5800	6.58	रामकोरी पत्नि किशनाराम
		ऊपनी	770/136			
				कुल	8.3500	33 बीघा
	कुल	2	2	4.1900	4.1900	तोलाराम पुत्र किशनाराम
2	सीताराम	केऊ	61			
				6.4100	3.2100	रामकोरी पत्नि किशनाराम
		जैसलसर	354			
				कुल	7.3900	29 बीघा 4 बिस्वा
	कुल	2	2	3.5300	1.77	स्वयं के नाम
3	हरीराम	केऊ	58			
				18.98	3.95(5/24)	रामकोरी, तोलाराम, सीताराम, हुक्माराम, हरीराम
		बाना	548			
				कुल	5.7100	22 बीघा 11 बिस्वा
		2	2	6.4100	3.2000	रामकोरी पत्नि किशनाराम
4	हुकमाराम	जैसलसर	354	4.3500	4.35	रामकोरी पत्नि किशनाराम
		सालासर	489/339			
				कुल	7.5600	28 बीघा 14 बिस्वा
		2	2			

उक्त वादगत खेतो का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन हो चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 में उपरोक्त सारणी के अनुसार हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादी का कब्जा–काश्त एवं उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नंबर 58 तादादी 3.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 तादादी [illegible] हैक्टेयर रोही केऊ, खसरा नंबर 770/136 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही [illegible] खसरा नं. 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 354 तादादी 6.4100 [illegible] खसरा नंबर 548 तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित [illegible] भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा के कब्जा–काश्त की भूमि प[illegible] कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 25.09.2019 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं निरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 25.09.2019 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देंगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में वादी का कब्जा काश्त होने एवं वादी व प्रतिवादी का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.09.2019 की इनकारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादी का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादी के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक :- 25.09.2019 को धमकी दी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादी ने दिनाँक 25.09.2019 को ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से वादी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हे वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादी को दिनाँक 25.09.2019 को प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद हेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन हो गया है। वादी का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। वादी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक एवं संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादी को दिनाँक 25.09.2019 प्राप्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादी को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा-काश्त पिछले 30-35 वर्षों से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी के खेतों विक्रय कर दिया तो वादी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने दिनाँक 25.09.2019 को वादी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त है इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने उक्त दावा प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 5 के रुप राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के ऑपचारिक पक्षकार बनाया गया है। स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। घोषणात्मक के दावे में दावा के अनुतोष में दावा दायरी से दो माह पूर्व जाब्ता दीवानी की धारा 80(1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का है। अगर राजस्थान सरकार को दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने गलत इरादे मे सफल हो जायेगा और दावा का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए दावा दायरी से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त दावा में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया। वादगत खेत [illegible] तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा उचित न्याय शुल्क [illegible] के भीतर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत [illegible] निवेदन किया [illegible] वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :-

क. यह है कि वादी को खसरा नंबर 354 [illegible] से 1/2 हिस्सा रोही जैसलसर, खसरा नंबर 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर सम्पूर्ण रोही [illegible] खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तदनुसार ही राजस्व रि[illegible] व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ(बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह है कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नंबर तादादी 3.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 तादादी 4.1900 हैक्टेयर रोही केऊ, खसरा नंबर 770/136 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही ऊपनी, खसरा नंबर 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही सालासर, नम्बर 354 तादादी 6.4100 हैक्टेयर रोही जैसलसर, खसरा नंबर 548 तादादी 18.9000 हैक्टेयर बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत बैंजा नहीं करें ना करावे उक्त के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृ करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हो। दौराने दावा व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 58 तादादी 3. हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 तादादी 4.1900 हैक्टेयर रोही केऊ, खसरा नंबर 770/136 तादादी 6. हैक्टेयर रोही ऊपनी, खसरा नंबर 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर तादादी 6.4100 हैक्टेयर रोही जैसलसर, खसरा नंबर 548 तादादी 18.9000 हैक्टेयर रोही बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी दर्ज कर उपरोक्त सारणी के अनुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें। तदनुसार ही पास बुक जारी कर लगान कायम करें।

यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जावे, वह भी वादी प्रदान किया जावे।

यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा राजीनामा पेश किया वादी प्रतिवादी को जरिये राजीनामा वाद स्वीकार करने में कोई आपति नही होने के कारण राजीनामे के अनुसार वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

<u>निर्णय</u>

खसरा नंबर 58 तादादी 3.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 तादादी 4.1900 हैक्टेयर रोही केऊ, खसरा नंबर 770/136 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही ऊपनी, खसरा नंबर 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 354 तादादी 6.4100 हैक्टेयर रोही जैसलसर सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 548 तादादी 18.9800 हैक्टेयर में से 5/24 हिस्सा रोही बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को ब.हि.ब. हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को दिया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को प्रतिवादी संख्या 04 (हकतर्कोरी) का हिस्सा भी दिया जा रहा है अतः तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के खाता विभाजन तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ मौके पर पहुचकर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतो में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन करे। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। निर्णय डिक्री जारी हों ।

पत्रावली बाद निर्णय दाखिल रजिस्टर में ... होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

दीवानी अधिकारी दिव्या आरएएस..
हुक्माराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1.तोताराम 2. सीताराम 3. हरीराम पुत्रगण किशनाराम 4. रामकोरी पत्जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ

वाद बाबत घोषणात्मक,विभाजन,

मुकदमा नम्बर 111/2019

निर्णय दिनांक

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री राजूराम बाना अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या की तरफ से श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खसरा नंबर 58 तादादी 3.5300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 61 तादादी 4.1900 हैक्टेयर रोही केऊ, खसरा नंबर 770/136 तादादी 6.5800 हैक्टेयर रोही ऊपनी, खसरा नंबर 489/339 तादादी 4.3500 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 354 तादादी 6.4100 हैक्टेयर रोही जैसलसर सम्पूर्ण एवं खसरा नंबर 548 तादादी 18.9800 हैक्टेयर में से 5/24 हिस्सा रोही बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को ब.हि.ब. हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को दिया है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को प्रतिवादी संख्या 04 (रामकोरी) का हिस्सा भी दिया जा रहा है अतः तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ अधिक खाता विभाजन तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ मौके पर पहुचकर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतो में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन करे। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0..फीसदी सालाना आज को जारी..... तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह ~~सितम्बर~~ अक्टूबर सन् 2020 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned with CamScanner